

शुद्धिपत्र

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के वर्ष 2013-14 के वार्षिक प्रतिवेदन के (एक विहंगम दृष्टि) वाले अध्याय-1 के अनुच्छेद 1.1 का संदर्भ लिया जाए जिसमें निम्नलिखित त्रुटियां दृष्टिगत हुईं:-

- (i) अनुच्छेद 1.1 की पंक्ति 9 "(क) खाद्य सुरक्षा एवं मानक (संक्रामक, टॉक्सिन और अवशिष्ट) संशोधन विनियम, 2012" के स्थान पर "(क) खाद्य सुरक्षा एवं मानक (संक्रामक, टॉक्सिन और अवशिष्ट) मसौदा संशोधन विनियम, 2012" पढ़ा जाए।
- (ii) अनुच्छेद 1.1 की पंक्ति 14 में "2012" के स्थान पर "2013" पढ़ा जाए।
- (iii) अनुच्छेद 1.1 की पंक्ति 16 में "2012" के स्थान पर "2013" पढ़ा जाए।
- (iv) अनुच्छेद 1.1 की पंक्ति 16 में "(घ) खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियमावली (संशोधन), 2013" के स्थान पर "(घ) खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियमावली (मसौदा संशोधन), 2013" पढ़ा जाए।

ERRATA

Reference is made to the paragraph 1.1 of Chapter 1 (Overview) of FSSAI Annual Report for the year 2013-14, wherein following errata were observed:-

- (i) Para 1.1, line 9 **for** "(a) Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Amendment Regulations, 2012" **read** "(a) Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Draft Amendment Regulations, 2012"
- (ii) Para 1.1, line 14 **for** "2012" **read** "2013"
- (iii) Para 1.1, line 16 **for** "2012" **read** "2013"
- (iv) Para 1.1, line 16 **for** "(d) Food Safety and Standards Rules (Amendment), 2013" **read** "(d) Food Safety and Standards Rules (Draft Amendment), 2013"